न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 37/2017 (राजसमन्द डिक्री)

मगनीराम पिता सुखलाल जी कुमावत, निवासी रावो का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भैरूलाल पिता सुखलाल जी कुमावत, निवासी रावो का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. गणेश पिता सुखलाल जी कुमावत, निवासी रावो का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती लक्ष्मी पिता सुखलाल जी कुमावत, निवासी रावो का खेड़ा, हाल निवासी गोरेला कुंआ, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. रमेश पिता मगनीराम जी कुमावत, निवासी रावो का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी आमेट दि॰
18–05–2017 प्रकरण सं. 31/2016

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री प्रमोद लक्षकार अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. 1, 2
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

निर्णय **दिनांक 16–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सरदारगढ़ में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 8 रकबा 1.9800 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/4 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 हमारी बहन होकर ससुराल में रहती है उसका मौके पर कोई आधिपत्य एवं कब्जा नहीं है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भूमियों का बिना विभाजन कराये भूमि पर पत्थर डालने लगे एवं निर्माण कराने की धमकी देते हैं। निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर नियमानुसार विभाजन कराया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में पत्रावली के रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम दिनांक 29–11–2016 को प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब भी वादीगण द्वारा पेश किया गया, जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता के दिनांक 08–02–2016 को प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में दिनांक 20–01–2017 को तनकियात भी कायम की गयी हैं।

दिनांक 20–01–2017 को तनकियात कायम होने के बाद दिनांक 09–02–2017 की पेशी नियत करने के बाद आगामी पेशी दिनांक 09–03–2017 को अपीलान्ट/प्रतिवादी ने तनकियात में संशोधन का आवेदन पेश किया, जिसके जवाब बहस हेतु पेशी दिनांक 30–03–2017 को नियत की गयी। दिनांक 30–03–2017 के बाद पेशी दिनांक 04–05–2017 को नियत की गयी, किन्तु उसके स्थान पर दिनांक 18–05–2017 को पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें कौन पक्षकार उपस्थित हैं, इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना तनकीवार निर्णय किये लोक अदालत की भावना को देखते हुए वादीगण का धारा 53 विभाजन का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

उक्त निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–05–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–06–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 सरकार औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सिद्धान्तों व कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है। दिनांक 18–05–2017 को अपीलान्ट/प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं पत्रावली पर राजीनामा नहीं होने से पत्रावली दिनांक 30–06–2017 को रखी गयी, परन्तु दिनांक 12–06–2017 को जब प्रतिवादी के अधिवक्ता ने पटवारी के हाथ में उक्त प्रकरण की पी.डी. की पालना के लिए आदेश देखा तब पता चला कि न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय पारित कर दिया है, जबकि प्रकरण तनकियात संशोधन के प्रार्थना पत्र के जवाब व बहस हेतु नियत था। वादी ने अपने वाद में प्रतिवादी/अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा माना है, फिर 1/4 हिस्से के संबंध में वाद डिक्री कैसे कर दिया गया। प्रतिवादी को अपने काउण्टर क्लेम को सिद्ध किये जाने का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय नहीं किया गया जाकर मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि यह स्वीकृत स्थिति है कि दिनांक 09–03–2017 को प्रकरण तनकियात संशोधन के लिए लम्बित था तथा दिनांक 30–03–2017 को आगामी तारीख पेशी 04–05–2017 नियम की गयी, परन्तु उसके स्थान पर दिनांक 18–05–2017 को प्रकरण रखा जाकर

प्रारम्भिक डिक्री कर दिया गया है, जिसमें तनकियात संशोधन बाबत् किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया गया है तथा कायम की गयी तनकियात के स्थान पर बिना किसी तनकी का विवेचन किये तथा अपीलान्ट/प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम पर बिना किसी प्रकार का विवेचन किये तथा बिना उसे सुने रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के कथनों से पृथक जाकर 1/3 के स्थान पर 1/4 हिस्से की डिक्री जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, जिसे कदापि तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से पारित निर्णय नहीं कहा जा सकता। किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण में उसके पक्ष को सुने बिना निर्णय पारित करने को कदापि न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–05–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी के पेश शुदा आवेदन का विधिवत निस्तारण कर प्रकरण में स्थापित विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए (क्योंकि पक्षकारान के विरूद्ध किसी प्रकार के सहमति की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा अपीलान्ट/प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम भी लम्बित है) विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–03–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

माना पिता परसा जी गुजर, निवासी आगलगांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द बनाम **मोहन पिता छग्गु जी गुजर, निवासी आगलगांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**313/2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**आमेट**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....17**.....माह.....**12**.....**2008**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**.....माह.....**08**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कन्हैयालाल चोर्डिया**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–12–2008 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**08**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।